राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 800/2022

में

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14766/2019

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302005, कार्यकारी अभियंता (ओएवंएम), जेपीडी, भवानी मंडी, झालवाड़, राजस्थान के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता-अपीलार्थी

बनाम

1. विद्युत लोकपाल, राजस्थान, जयपुर।

2. श्री राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स, पचपहाड़, भवानी मंडी, झालावाड़-326502

अपीलार्थी की ओर से : श्री बिपिन गुप्ता एडवोकेट।

प्रत्यार्थी की ओर से : श्री पी.एन. भंडारी एडवोकेट।

----प्रत्यर्थी

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी

<u>निर्णय/आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>07/09/2022</u>

हालाँकि, परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, कार्यालय रिपोर्ट से पता चलता है कि अपील परिसीमा के भीतर है।

पक्षों की सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई की जाती है.

यह अपील एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14766/2019 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा विद्युत

लोकपाल राजस्थान, जयपुर (इसके बाद 'विद्युत लोकपाल' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित एक पंचाट दिनांक 16.05.2019 की शुद्धता और वैधता पर सवाल उठाने की मांग करते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई है।

वर्तमान अपील में शामिल विवाद के निर्णय के प्रयोजनों के लिए, हम वर्तमान अपील को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को उपयोगी रूप से संदर्भित कर सकते हैं।

प्रतिवादी संख्या 2, जो बिजली का उपभोक्ता है, का अपीलकर्ता के साथ विवाद था, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। विवाद मुख्य रूप से ऊर्जा बिलों के संबंध में था, जो 29.06.2016 से 18.05.2018 तक की अवधि कई दौरान जारी किए गए थे। मामले के जो तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनसे पता चलता है कि प्रश्नगत अवधि के दौरान, सीवीटी में त्रुटि के कारण मीटरिंग उपकरण त्रुटिपूर्ण बने हुए हैं। उपभोक्ता ने शिकायत की कि दोषपूर्ण मीटर के माध्यम से जो ऊर्जा बिल जारी किया गया है, वह उचित नहीं है, जो अपीलकर्ता कंपनी को स्वीकार्य नहीं था। इससे पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। उपभोक्ता ने विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद '2003 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत बनाए गये विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम 15 के साथ पठित 2003 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के तहत कॉरपोरेट लेवल शिकायत निवारण निपटान फोरम (इसके बाद 'सेटलमेंट फोरम' के रूप में संदर्भित) से संपर्क किया, जिसकी परिणति 41,34,667/- रुपये के पंचाट के रूप में हुई जिसे 07.10.2017 से 06.04.2018 की अवधि के लिए समायोजित किया जाना था। तथापि, सेटलमेंट फोरम के फैसले से असंतुष्ट, उपभोक्ता ने अपनी शिकायत के निवारण और 29.06.2016 से 18.05.2018 तक अर्थात कनेक्शन की तारीख से सीवीटी के प्रतिस्थापन की तारीख तक की पूरी अवधि की अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया।

दोनों पक्षों के बीच विवाद का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं हो सका और, इसलिए, विद्युत लोकपाल ने विवाद पर आगे कार्यवाही की और 16.05.2019 को प्रतिवादी/उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। यह निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता मीटर में

अशुद्धि के कारण बिजली की आपूर्ति के निबंधन और शर्तें, 2004 के पैरा-2, खंड 33 (5) के निबन्धों के अनुसार कनेक्शन की तारीख से समायोजन का हकदार होगा और सेटलमेंट फोरम द्वारा प्रतिबंधित छह महीने की सीमा को त्रुटिपूर्ण माना गया और इसलिए, विद्युत लोकपाल ने बिलों में संशोधन का आदेश पारित किया।

उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, क्योंकि कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं था, अपीलकर्ता-आपूर्तिकर्ता कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों की दलीलों की जांच विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उपभोक्ता द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों कि रिट याचिका दायर करने के उपाय का लाभ आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा नहीं उठाया जा सकता है, के मद्देनजर गुण-दोष के साथ-साथ रिट याचिका की स्थिरता के आधार पर की गई।

गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करने के बाद, एकल न्यायाधीश ने माना कि उपभोक्ता को राहत देने वाले फैसले में रिकॉर्ड पर मौजूद विशिष्ट सामग्री के मद्देनजर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि कनेक्शन की तारीख से प्रतिस्थापन की तारीख तक मीटर गलत था, एकल न्यायाधीश ने कहा यह भी माना गया कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका भी कानून में बनाए रखे जाने योग्य नहीं थी।

विद्वान एकल न्यायाधीश का उपरोक्त आदेश हमारे समक्ष चुनौती के अधीन है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए दो प्रमुख तर्क यह हैं कि सबसे पहले विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलत तरीके से निर्णय दिया है कि अपीलकर्ता के कहने पर भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका बनाए रखे जाने योग्य नहीं है, जो एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1997) 3 सुप्रीम कोर्ट मामला 261, के मामले में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक घोषणा के खिलाफ है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उपाय भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इस तरह के उपाय को संवैधानिक प्रावधानों द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है, देश के किसी भी कानून के तहत कोई वैधानिक बाधा तो दूर की बात है।

दूसरी दलील, मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर, यह है कि मीटरिंग डिवाइस की

स्थिति के संबंध में तथ्यों की गलत धारणा पर पंचाट दिया जाता है। विद्युत लोकपाल के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश उचित संभावित और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने में विफल रहे हैं, कि ऐसे मामलों में भी, विद्युत लोकपाल द्वारा पारित निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में उसे समूची अवधि के संबंध में राहत देने के लिए नहीं दिया जा सकता है।

अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और इब्रत फैजान बनाम ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड, एआईआर ऑनलाइन 2022 एससी 716 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले पर भरोसा जताया है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में मुद्दे के बावजूद, यहां तक कि यह मानते हुए कि याचिका सुनवाई योग्य थी, विद्युत लोकपाल ने निर्विवाद तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया, विशेष रूप से यह कि कनेक्शन दिए जाने की तारीख से ही जो मीटरिंग उपकरण लगा हुआ था, वह दोषपूर्ण था। यह तथ्य की खोज है, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए, उस आधार पर, यहां तक कि योग्यता के आधार पर भी, पंचाट को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया है।

हमने पाया कि रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति उपभोक्ता के कहने पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाई गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपभोक्ता के लिए निवारण तंत्र के संबंध में 2003 के अधिनियम की धारा 42 की वैधानिक योजना की जांच की। जबकि विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि वैधानिक तंत्र केवल उपभोक्ता की सहायता के लिए था और आपूर्तिकर्ता कंपनी के लिए कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं था, उसके आदेश के पैरा 17 में, यह माना गया है:-

> "याचिकाकर्ता की तरह, वितरक कंपनी पर अधिनियम की योजना और विधायिका की मंशा के अनुसार 'सेटलमेंट' शब्द का उपयोग करके धारा

42(8) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आलोक में, इस अदालत का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता की तरह बिजली कंपनी के लिए सुनवाई योग्य नहीं है।"

उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2003 के अधिनियम की धारा 42 (7) में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया है, विशेष रूप से आपूर्तिकर्ता कंपनी और उपभोक्ता के बीच विवाद के मामले में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के विधायी आशय पर।

2003 के अधिनियम की धारा 42 में आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत के मामले में निवारण तंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। उपधारा (5), (6), (7) और (8), प्रासंगिक होने के कारण, यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

"42. वितरण लाइसेंस और खुली पहुंच के कर्तव्य-

1. xxxxxxxxx.
2. xxxxxxxxx.
3. xxxxxxxxx.
4. xxxxxxxxx.
5. प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, नियत तारीख या लाइसेंस देने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा।
6. कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा (5) के तहत अपनी शिकायतों का निवारण न होने से व्यथित है, वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल नामक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है।
7. लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से करेगा जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
8. उप-धाराओं (5), (6) और (7) के प्रावधान उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो उपभोक्ता को उन उप-धाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा प्राप्त हो

सकता है।"

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, कोई उपभोक्ता, जो अपनी शिकायत का निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल नामक प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने का हकदार है। विद्युत लोकपाल विधि के तहत उपभोक्ता की शिकायत को ऐसे समय के भीतर और राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से निपटाने के लिए बाध्य है।

2003 के अधिनियम की धारा 181 के साथ पठित धारा 42(6) एवं (7) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (विद्युत लोकपाल द्वारा विवादों का निपटान) विनियम, 2010 (इसके बाद '2010 के विनियम' के रूप में संदर्भित) तैयार किए गए हैं।

विभिन्न प्रावधानों के बीच, 2010 के विनियमों का विनियम 5 विद्युत लोकपाल को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

2010 के विनियमों के विनियम 7 में निपटान के माध्यम से प्रतिनिधित्व पर विचार करने का प्रावधान है। इस प्रावधान की योजना का उद्देश्य सबसे पहले पक्षकारो के बीच समझौते की संभावना तलाशना है। हालाँकि, 2010 के विनियमों के विनियम 8 में प्रतिनिधित्व पर पंचाट का प्रावधान है जहां प्रतिनिधित्व का निपटारा सुलह द्वारा नहीं किया जाता है। विद्युत लोकपाल को अपने निर्णय के कारण बताते हुए एक पंचाट पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

यह विवाद में नहीं है, न ही हम 2003 के अधिनियम या 2010 के विनियमों के प्रावधानों से यह पता लगा सके कि पंचाट के खिलाफ, उपभोक्ता या आपूर्तिकर्ता कंपनी के पास कोई अपील/संशोधन या कोई अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध है।

इस पृष्ठभूमि में, आपूर्तिकर्ता कंपनी, जो स्पष्ट रूप से फैसले से व्यथित थी, ने इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में पहलू पर <u>एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)</u> के मामले में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा विचार किया गया था। यह अधिकारपूर्वक उद्घोषित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, जिन्हें संवैधानिक संशोधन द्वारा भी छीना नहीं जा सकता है। यह इस प्रकार उल्लेखित किया गया था:-

> "73. अब हम इस प्रस्ताव के लिए कुछ अन्य प्राधिकारियों का विश्लेषण कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, अनुच्छेद 25 के मसौदे के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, जो संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 32 से मेल खाता है, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस प्रकार कहा: (सीएडी, खंड VII, पृष्ठ 953):
>
> "यदि मुझसे इस संविधान में किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण बताने के लिए कहा जाए - एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा - तो मैं इस अनुच्छेद के अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा और हृदय है और मुझे खुशी है कि सदन ने इसके महत्व को महसूस किया है।"
>
> (*बल दिया गया*)
>
> 76. इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कि क्या अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, हमें पहले यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि संविधान की मूल संरचना क्या है। संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में विकसित किया गया था। हालाँकि,

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उस मामले में यह नहीं कहा गया था कि उस निर्णय में उल्लिखित विशिष्ट और विशेष विशेषताएं ही हमारे संविधान की मूल संरचना का निर्माण करेंगी। दरअसल, शेलाट और ग्रोवर, जे.जे., हेगड़े और मुखर्जी, जे.जे. और जगनमोहन रेड्डी, जे के निर्णयों मे इस आशय की विशिष्ट टिप्पणियाँ हैं कि संविधान की मूल संरचना में शामिल आवश्यक विशेषताओं की उनकी सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इंदिरा गांधी के मामले में, चंद्रचूड़, जे. ने माना कि किसी न्यायाधीश, जो इस प्रश्न का सामना कर रहा है कि क्या संविधान का एक विशेष पहलू मूल संरचना का हिस्सा है, के लिए उचित दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, उसकी इस स्थिति की जांच करना है कि हमारे संविधान की योजना में विशेष विशेषता, इसके उद्देश्य और प्रयोजन, और देश के शासन के लिए एक मौलिक साधन के रूप में हमारे संविधान की अखंडता पर इसके इनकार के परिणाम क्या हैं (पृ. 751-752 पर सुप्रा)। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से मिनर्वा मिल्स मामले में भगवती, जे. द्वारा अपनाया गया था (सुप्रा एट पीपी. 671-672) और इसे संवैधानिक कानून के इस क्षेत्र में निश्चित परीक्षण नहीं माना जाता है।

79. हम यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक अधीक्षण का प्रयोग करने की शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति से समान रूप से बचा जाना चाहिए जहां उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है।

81. "यदि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति, जिसे संविधान के "हृदय" और "आत्मा" के रूप में वर्णित किया गया है, अतिरिक्त रूप से "किसी अन्य न्यायालय" को प्रदान की जा सकती है, तो कोई कारण

नहीं है कि वही स्थिति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार इस संबंध में बनी न रह सके। जब तक अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार बरकरार रखा जाता है, तब तक कोई कारण नहीं है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कानूनों की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को प्रदान नहीं की जा सकती है। अधिनियम के तहत या संविधान के अनुच्छेद 323-ख के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों पर बनाया गया। यह याद रखना चाहिए कि, अनुच्छेद 323-क और 323-ख से प्राप्त प्राधिकरण के अलावा, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने की विधायी क्षमता है। यह शक्ति सूची I की प्रविष्टि 77, 78, 79 और 95 के तहत संसद को और सूची II की प्रविष्टि 65 के तहत राज्य विधानमंडलों को उपलब्ध है; सूची III की प्रविष्टि 46 का इस उद्देश्य के लिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा भी लाभ उठाया जा सकता है।

यह सच है कि 2003 के अधिनियम के वैधानिक तंत्र के तहत, किसी भी पक्ष के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण और संवैधानिक क्षेत्राधिकार को हटा दिया गया है और विद्युत लोकपाल द्वारा पारित पुरस्कार रिट कार्यवाही में भी चुनौती से परे हैं।

उपरोक्त निर्धारित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष की बात है कि आपूर्तिकर्ता कंपनी की ओर से की गई रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखे जाने योग्य नहीं थी और उस हद तक, कानून में मान्य नहीं है, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

हालाँकि, जहाँ तक योग्यता पहलू का सवाल है, हम पाते हैं कि विद्वान एकल

न्यायाधीश ने मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचाट को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया कि यह तथ्यों की एक स्वीकृत स्थिति है कि स्थापना की तारीख से ही, मीटरिंग डिवाइस ख़राब था, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार और आदेश पारित करने का आधार रहा है, इसलिए, योग्यता के आधार पर, हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(विनोद कुमार भरवानी), न्यायमूर्ति (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव),कार्यवाहक सी.जे

Sanjay Kumawat-3

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।